झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–228 / 2019

डॉ0 जय प्रकाश, पुत्र–स्व0 रामाधार ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. रांची इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूरो–साइकिएट्री एंड एलाइड साइंसेज (रिनपास), कांके, रांची।
3. निदेशक, रांची इंस्टीच्यूट ऑफ न्यूरो–साइकिएट्री एंड एलाइड साइंसेज (रिनपास), कांके, रांची।
4. रिनपास की प्रबंध समिति अपने पदेन अध्यक्ष, मंडल आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, रांची के माध्यम से।

..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री ए0के0 सिंह, अधिवक्ता

4 / दिनांकः 5वीं अगस्त, 2019

यह आवेदन डब्ल्यू0पी00 (एस0) सं0–5325 / 2015 की पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे दिनांक 04.12.2018 के आदेश द्वारा अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता ने दिनांक 14.10.2018 को पूर्व के अधिवक्ता से ''अनापत्ति'' प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वह नए वकील को इंगेज करने में सक्षम नहीं हो सका और इस बीच यह मामला दिनांक 04.12.2018 को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जो वकील रिकॉर्ड पर था, उसने ''अनापत्ति'' देने के वजह से वह अदालत के सामने

पेश नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई और इसके खारिज होने के बाद वर्तमान वकील श्री राजेश कुमार के पक्ष में एक नया वकालतनामा दिया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि यह रिट याचिका विभागीय पदोन्नति समिति के संदर्भ में प्रोफेसर (क्लिनिकल साइकोलॉजी) के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी पर निर्देश जारी करने के लिए किया गया है, जिसमें उसे योग्य एवं उपयुक्त 01.01.2013 के प्रभाव से पाया गया है, लेकिन अभियोजन की कमी के कारण यदि रिट याचिका को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता अपनी शिकायत के न्याय–निर्णयन से वंचित हो जाएगा और इसलिए, वर्तमान सिविल विविध याचिका को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई है ताकि याचिकाकर्त्ता की शिकायत गुण–दोष के आधार पर प्रचालित किया जा सके।

श्री ए0के0 सिंह, प्रतिवादी सं0 2 से 4 के लिए विद्वान अधिवक्ता और साथ ही एडवोकेट जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान राज्य अधिवक्ता ने इस आवेदन को पुनःस्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं जताई है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि पुनःस्थापन के आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो याचिकाकर्त्ता की शिकायत अनिर्णीत रह जाएगी, और इसलिए, सिविल विविध याचिका को अनुमति देने की आवश्यकता है, तद्नुसार अनुमति दी गई है।

परिणाम में, डब्ल्यू0पी00 (एस0) सं0–5325/2015 को इसके मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है।

कार्यालय को डब्ल्यू0पी00 (एस0) सं0–5325/2015 को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)